# सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन

सेवा में

दिनांक 24.09.2020

**श्रीमान जन सूचना अधिकारी**
**पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**
**क्षेत्रीय मुख्यालय,उत्तरी क्षेत्र-3**
**लखनऊ{यू.पी.}**

**विषय - सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) Act 2005 के अंतर्गत पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबधित आवश्यक सूचनाऐं प्राप्त करने के सम्बन्ध में |**

1. पावरग्रिड विभाग का एक मुख्य कार्य पारेषण लाइन निर्माण करना है | वर्ष 2008 से 2015 तक विभाग द्वारा "Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures} विषय पर कितनी ट्रैनिंग पारेषण लाइन निर्माण मे कार्यरत कर्मचारियों को दी गई है ? कृपया विवरण दे |
2. पावरग्रिड विभाग मे किस-किस वर्ष के कर्मचारियों की OJT(On Job Training) मे Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures} मे जानकारी दी गई है ? कृपया विवरण दे |
3. IOM संदर्भ संख्या-NR/I/PESM/6737 दिनांक 13.11.2009{उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 ED Approval-06.11.2009} की स्वीकृति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी ? क्या विभाग की पारेषण लाइनों के निर्माण मे किसानों को मुआवजा भुगतान, विभाग की नीति "Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures}" के अनुरूप नहीं हो सकता था ?
4. कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 का पालन करते हुए पावर ग्रिड मे कितनी पारेषण लाइनों मे किसानों को भुगतान किया गया है ?
5. कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 किसी पारेषण लाइन विशेष के लिए था अथवा सम्पूर्ण पावर ग्रिड मे लागू करने के लिए था ?
6. IOM संदर्भ संख्या-NR/I/PESM/6737 दिनांक 13.11.2009 के माध्यम से पावर ग्रिड के अन्य स्थानों पर इस कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 के तहत कार्य करने के लिए क्यों निर्देशित किया गया था ?
7. जब पावर ग्रिड मे ""Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures}" नीति के विरुद्ध दूसरी नीति "कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009" का अनुशरण करते हुए बड़े स्तर पर पारेषण लाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा था | और इस नीति से पावरग्रिड को पारेषण लाइन निर्माण मे ज्यादा सुविधा प्रतीत हो रही थी तो क्यों नहीं पावर ग्रिड की मूल नीति Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures}" को सिद्धांतिक रूप से बदला गया ?
8. IOM संदर्भ संख्या-NR/I/PESM/6737 दिनांक 13.11.2009{ कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } इस अप्रूवल मे जो किसानों को मुआवजे हेतु नोटिस स्वीकृत किया गया था | उसमे किसान के खेत का खसरा संख्या लिखने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया था ?
9. IOM संदर्भ संख्या-NR/I/PESM/6737 दिनांक 13.11.2009{ कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } मे लिखा है "The Owner of the land/grower of the shell be verified by patwari/sarpanch/nambardar before making payment to the farmer. If patwari is not available in certain area then sarpanch has to certified the ownership." इस तथ्य का अनुशरण करते हुए | किन-किन पारेषण लाइनों मे किसानों के मुआवजे के नोटिस तहसील ने यह कहकर वापिस कर दिए हो कि तहसील मे पटवारी उपस्थित नहीं है ? इसलिए आपके नोटिसों का सत्यापन तहसील से संभव नहीं है | इस प्रकार के, किसी भी लाइन के केवल 10 नोटिसों का विवरण दे ?
10. विभागीय(पावरग्रिड} नोट शीट बनाने व स्वीकृति के लिए प्रयोग किए जा रहे "E-office" मे कार्य करने के लिए केवल अधिकारियों को ही अधिकृत किया गया है | उसमे कनिष्ठ अभियंता को क्यों अधिकृत नहीं किया गया है ?
11. किन-किन परिस्थितियों मे अधिकारी होने के उपरांत दूसरी पार्टी को भुगतान करने हेतु कर्मचारियों से नोट प्रेषित किया जा सकता है ? प्रमाण के साथ प्रस्तुत करे |
12. पावरग्रिड मे कनिष्ठ अभियंता की Delegation of Power (DOP} क्या है ? क्या पावरग्रिड मे Delegation of Power को अग्रेषित किया जा सकता है ?
13. पानीपत कार्यालय के अंतर्गत निर्माण की गई 800 के वी चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान किसानों के फसल मुआवजे के नोटिस जो सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित किए गए थे | उनके भुगतान के लिए तैयार प्रस्ताव को पानीपत प्रभारी और अनुमोदन प्राधिकारी ने बिना तहसील प्रमाण के " कि तहसील मे पटवारी उपस्थित नहीं है" जो कि { कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } का मुख्य बिन्दु था | कैसे अनुमोदित कर दिया ? पूरी पारेषण लाइन निर्माण के दौरान का कोई भी एक प्रस्ताव का विवरण दे जो पानीपत प्रभारी और अनुमोदन प्राधिकारी ने इस तरह अनुमोदित करने से मना किया हो ? कृपया प्रमाण सहित विवरण दे ?

24/09/2020

14. बिना तहसील के प्रमाण के कि "तहसील मे पटवारी उपस्थित नहीं है" { कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } का मुख्य बिन्दु था | सम्बन्धित वित्त विभाग ने इस तरह के सभी नोटिसों का भुगतान क्यों किया ? अगर एक भी प्रमाण किसी भी तहसील से लिया हो तो साक्ष्य प्रस्तुत करे |
15. जब विजिलेन्स विभाग के अनुसार ग्राम प्रधान से नोटिस सत्यापित कर मुआवजा देना गलत था | तो सम्पूर्ण 800 के वी चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन निर्माण के दौरान किसानों के फसल मुआवजे के नोटिस जो सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित किए थे उन सभी को तहसील से जांच क्यों नहीं कराया गया ? क्या अभी तक जिन पारेषण लाइनों के निर्माण मे ग्राम प्रधान द्वारा नोटिसों का सत्यापन करके भुगतान किया है उन सभी पारेषण लाइनों के सभी नोटिसों की जांच नहीं होनी चाहिए ?

संलग्नक:-

- IOM संदर्भ संख्या-NR/I/PESM/6737 दिनांक 13.11.2009.
- कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009.

भवदीय

24/09/2020

नाम:..अशोक कुमार.

पता:.फ्लैट संख्या -A-33 फर्स्ट फ्लोर ,पार्श्वनाथ सिटी

फैजाबाद रोड ,टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय के नजदीक

तिवारीगंज,लखनऊ -226028

फोन नं:8299500936 .

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.
NORTHERN REGION-I,RHQ

IOM

From : Engr, PESM

To : As per distribution

Ref : NR/1/PESM/ 6737

Date : 13.11.2009

**Sub : Forwarding of Approved note regarding methodology for payment of Crop Compensation in Trans. Lines Construction in NR-I.**

Enclosed herewith please find a copy of the approved note regarding methodology for payment of crop compensation in Trans. Lines Construction to be adopted in NR-I.

This is for your Record and future reference please.

27/11/09

(Nida Quadeer)

Distribution:-

1. Manager : (Sitarganj / Pithoragarh).
2. CM : (Bassi / Gorakhpur / Mainpuri / Vindhyachal / Gurgaon / Kankroli / Behror / Bhiwadi).
3. DGM : (Meerut / TL-Lucknow / Mandola / / Ballabhgarh / Rihand / Maharanibagh / Kanpur / Kota / Sirohi / Agra / Engg / F&A).
4. AGM : (Bareilly / Lucknow / Roorkee / Balia / Mundka / Palwal / Allahabad / Dadri / NDMC-CWG).

Copy for kind information to :-

1. GM (Project-I) / GM(Project-II).
2. ED (NR-I).

Scanned by CamScanner

# पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0

## 400/220 के0 वी0 जी.आई.एस. उपकेन्द्र गुड़गांव

सन्दर्भ : उ.क्षे.1/जी.आई.एस.गु./पा.प./09

दिनांक : 06/11/2009

विषय – 400 के0 वी0 बल्लभगढ़- भिवाड़ी सिंगल एकल परिपथ पारेषण पथ के निर्माण कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त फसल के मुआवजे के अनुमोदन हेतु ।

विषयांकित पारेषण पथ के निर्माण का कार्य M/s KEC (I) LTD. संदर्भित LOA Ref. : C-14103-L193A-5/LOA-I/2280 dt. 11/01/2007 द्वारा कराया जा रहा है। पारेषण पथ निर्माण का कार्य पूरे जोर पर चल रहा है। वर्तमान में 109 में से 94 फाउन्डेशन एवं 90 इरेक्शन का कार्य पुरा हो चुका है एवं तार खींचने का काम 34 किमी में से लगभग 20 किमी पूरा हो चुका है। पारेषण पथ निर्माण के दौरान किसान को, जिसकी फसल कार्य के दौरान क्षति हुई है, हमारे प्रतिनिधि द्वारा नोटिस दिया जाता है, जिसमें क्षतिग्रस्त फसल का नाम व क्षेत्रफल का ब्योरा दिया जाता है। इस नोटिस की एक कॉपी सम्बन्धित तहसील में दी जाती है, जिसके तहसीलदार द्वारा, नामांकित लेखपाल से, किसान का स्वामित्व सत्यापन एवं फसल नुकसान के मुआवजे की राशि निर्धारित की जाती है, जो की तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात पावरग्रिड के वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित किसान को चेक से भुगतान किया जाता है।

यह पारेषण पथ तीन तहसील पलवल, सोहना एवं गुड़गाव के परिक्षेत्र में बन रही है। पलवल एवं सोहना तहसील क्षेत्र में उपरोक्त प्रणाली द्वारा भुगतान किया जा चुका है, परन्तु गुड़गाव तहसील के सारे नोटिस पिछले एक साल से तहसील में लंबित होने की वजह से किसानों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि गुड़गाव तहसील के पटवारी, लेखपाल एवं तहसीलदार द्वारा इस प्रकार के क्षतिग्रस्त फसल के मुआवजे के स्वामित्व सत्यापन के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि मुआवजा फसल का दिया जाना है न कि भूमि का। अब पिछला मुआवजा न मिलने से किसानो द्वारा ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह कार्य अनिश्चित अवधि के लिए बाधित हो गया है।

चूंकि इस प्रकार के फसल मुआवजे के भुगतान का तरीका W.P.P मे भी नही दिया गया है। उपरो क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा उ.क्षे.II में सरपंच द्वारा सत्यापन एवं उपलब्ध बाजार दर पर उपज के दरों किया जा रहा है। उ.क्षे.II में अपनाये जाने वाले फसल मुआवजे के तरीके का सम्बन्धित दस्तावेज पानी कार्यालय से लिया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः प्रस्तावित किया जाता है कि फसल का मुआवजा देने के लिए मौके पर हमारे प्रतिनिधि द्वारा किसान को नोटिस देने के पश्चात उसका स्वामित्व सत्यापन (जमीन का मालिक/बुवाई करने वाला) गाँव के ग्राम प्रधान से कराया जाये तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण बाजार दर के अनुसार करके सम्बन्धित किसान को मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र करके कार्य प्रगति में अवरोध को कम किया जा सके तथा ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण सुचारु रुप से सम्पादित किया जा सके ।

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

पंकज कुमार

(पंकज कुमार जांगिड़)

अभियंता(जी.आई.एस. गुड़गाव)

मुख्य प्रबन्धक ( जी.आई.एस. गुड़गाव)

06/11/09

अपर महाप्रबन्धक( प्रभारी गुड़गाव परियोजना) :

P.T.O.

हिन्दी में काम करना आसान है

Scanned by CamScanner

The matter has been discussed in the last HOD meeting held at Udaipur.

Crop compensation payment during construction of Transmission line after due verification by respective Tehsildar — as per the prevailing practice in NR-I is consuming lot of time and consequently it creats lot of resentment among the farmers. That has ultimately boils down to ROW and delay in line Const. work.

— As per the decision taken in the HOD meeting — as per the practice adopted in other region like NR-II (copy enclosed) the methodology to ~~settle~~ disburse the crop compensation payment will be as under:—

(a) Affected area will be calculated as per the actual measurement.

(b) Total quantity of crop shall be calculated from the circular of yield of crop of respective Tehsil/District collector/Agricultural office.

(c) Prevailing rate of the crop (as per type of crop) shall be collected from Tehsil office or Bazar Committee.

(d) The owner of the land/Grower of the shall be verified by Patwari/sarpanch/Nambardar before making payment to the farmer. If ~~the~~ Patwari is not available in certain cases — then Sarpanch has to certify the ownership.

— The above methodology ~~as adopted~~ is ~~for~~ recommended to be adopted for the crop compensation payment to expedite the line construction work.

— Submitted for in-principle approval.

[signature] 6/11/09

DGM (PESM) This methodology may be implemented in other packages also in our region.

[signature] 6.11.09

GM (Proj)-II - out of HQ.

GM (Proj)-I [signature] 6/11/09 All dept. rates are to be justified like Agricult/Horticulture etc.

ED (NR-1)

[signature] 6/11/09

# POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

NR-II PANIPAT

SL. No:

Dated : ..........

Subject: <u>Valuation Statement For Crop Compensation.</u>

POWERGRID Corporation of India limited is constructing 400KV D/C Kaithal-Meerut Transmission Line under Northern Region Strengthening Scheme-XI (NRSS-XI) to create capacity for inter regional evacuation of power and power from Generation Plants likely to come up in future. As per the provisions of the act. crop compensation has to be paid for the damages being done during the course of construction of Transmission Line.

The detail of the damages done during the construction activities of said Transmission Line is as under, which shall be paid after fulfillment of the requirements and after assessment of the loss incurred by the owner. **The assessment format be returned after verification of the ownership to enable this office to calculate the losses**

1. Location No. / Span: ..................................................................................

2. Nature of work: ........................................................................................

3. Owner's name & Residential address: .......................................................

4. Name of Village & Tehsil ..........................................................................

5 Phone No...................................................................................................

6. Reference in which Crop Compensation is approved ...................................

| S No. | Type of Crop | Area Damaged | Area in Kanal | Rate per Kanal | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

This is certify that the above joint measurement and compensation of crop is accepted.

Owner's Signature

Signature of Power Grid Representative

Authentication of Ownership of Land

Technician / JE / Engineer

Patwari / Sarpanch / Numberdar

Scanned by CamScanner

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ دس روپے പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि பத்து ரூபாய் పది రూపాయలు

**अधपत्रा COUNTERFOIL**

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर

**₹ 10**

**POSTAL ORDER**

किसे अदा करना
To whom payable ____________

किस डाकघर में
At what Office ____________

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed ____________

भेजने की तारीख
Date sent 24/09/2020

52F 880793

अपरक्राम्य
**NOT NEGOTIABLE**

जारी करने वाले कार्यालय की मोहर तारीख सहित
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

# भारतीय पोस्टल आर्डर
# INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO The Public Relations Officer Powergrid corp. of India Ltd. RHQ, Lucknow को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

**₹ 10**

AT THE POST OFFICE AT ____________ के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

52F 880793

अदा करने वाले कार्यालय की मोहर तारीख सहित
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

अशोक कुमार, फ्लैट - A-33 First Floor
पार्श्वनाथ सिटी, कानपुर रोड
तिवारीगंज लखनऊ
226028